पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 11 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-30-08-2023

दिनांक-29/30-08-2023 को रात्रि थाना अमीनाबाद 02, चिनहट 01, कृष्णानगर 01, मोहनलालगंज 04, नगराम 01, नाका 01, पारा 01 एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना नगराम 06 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 11 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना माल-दिनांक 29.08.2023 को एस0आई0 श्री जय बहादुर राय थाना माल द्वारा दौराने गस्त मय महिला हमराही के अभियुक्ता 01-रामरानी पत्नी बब्लू नि0 जगनीखेड़ा मजरा चक सैदापुर थाना माल लखनऊ को चक सैदापुर पुलिया बह्द ग्राम जगनीखेड़ा मजरा चक सैदापुर थाना से माल गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना माल पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना कृष्णानगर-दिनांक 30.08.2023 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री फहीम अहमद पुत्र शमीम अहमद निवासी-मीठी खिचड़ी इरादत नगर डालीगंज लखनऊ ने थाना कृष्णानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 1908.2023 को वादी अपने मित्र विनय द्विवेदी को अपनी इनोवा गाड़ी को किसी आवश्यक कार्य हेतु दिया था। दिनांक 20.08.2023 को रात करीब 10.00 बजे वापस आये और उनके ड्राइवर उमेश कुमार ने गाड़ी लेकर अपने आवास वीआईपी रोड नियर राज चन्द्र हॉस्पिटल पर गाड़ी खड़ी कर दी थी। दिनांक 20.08.2023 को प्रातः करीब 06.00 बजे जब उक्त ड्राइवर गाड़ी लेने गया तो देखा कि वादी की उक्त इनोवा गाड़ी जहां खड़ी थी उस जगह पर गाड़ी नहीं मिली। **वादी ने काफी तलाश किया तो और गाड़ी नहीं मिली। इस सूचना पर थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0 333/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना विभूतिखण्ड-दिनांक 30.08.2023 को थाना विभूतिखण्ड द्वारा बताया गया कि वादी श्री संतोष कुमार पुत्र स्व0 राम दुलारे निवासी-1बी/172/5 वृन्दावन कालोनी रायबरेली रोड, लखनऊ ने थाना विभूतिखण्ड पर सूचना दिया कि अजय मौर्य पुत्र स्व0 रामनाथ मौर्य निवासी-चंदापुर जनपद गोंडा वादी के जीजा हैं जो कि लखनऊ जनपद में रहकर अलग-अलग जगहों पर गाडी चलाने का काम करते थे। वादी के अनुसार वादी के जीजा अजय मौर्य उपरोक्त का एक महिला निवासी-प्रवेश यादव का किराये का मकान मोहल्ला विजयपुर थाना विभूतिखण्ड से परिचय था और उनके घर वादी के जीजा का आना जाना रहता था। दिनांक.-29.08.2023 को रात्रि करीब 11.00 बजे वादी के जीजा अजय मौर्य उपरोक्त उक्त महिला से मिलने उसके किराये के उक्त घर पर गये थे। मकान मालिक प्रवेश पुत्र राम मनोहर यादव और उसका भाई सर्वेश यादव व एक अज्ञात व्यक्ति ऊपर के कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। वादी के जीजा को मकान के अंदर देखकर उक्त तीनों व्यक्ति गाली गलौज करते हुए वादी के जीजा से मारपीट करने लगे और पास पड़े ईंट के टुकड़े से वादी के जीजा के मुंह व सिर पर बुरी तरह से मारा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये। वादी के जीजा अपनी जान बचाकर वहां से भागे तो उक्त तीनों लोगों ने पीछाकर धक्का देकर गिरा दिया और मारपीट कर वादी के जीजा अजय मौर्य उम्र करीब 45 वर्ष उपरोक्त की हत्या कर दी। इस घटना को वादी के जीजा अजय मौर्य के परिचय की उक्त महिला व उनके बच्चों ने देखा है। **इस सूचना पर थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 440/2023 धारा 302 भादवि का अभियोग बनाम 01-प्रवेश यादव 02-सर्वेश यादव 03-एक अन्य अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**